

प्रेस नोट दिनांक-27.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट के निर्देशन में पीआरवी 2035 थाना राजापुर द्वारा कालर चरावती(मो0नं0 9265346349) के माध्यम से बाइक के सामने जानवर आ जाने कारण 02 लोग भभेट कालोनी थाना राजापुर के पास घायल हो गये है की सूचना प्राप्त होने पर पीआरवी2035 तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि मोटरसाइकिल सवार जानवर से टकरा कर गिर गये थे जिससे दो लोग घायल हो गये थे। दोनो घायलो को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी राजापुर में भर्ती कराया गया। घायलों के परिवारजनों को भी सूचना दी गई। थाना राजापुर पुलिस भी मौके पर थी।

पीआरवी स्टाफ-

1. मुख्य आरक्षी मोहम्मद हुसैन
2. आरक्षी गौरव पाण्डेय
3. आरक्षी चालक जगराम यादव

(2). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-27.10.2020 समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा कस्बे एवं विभिन्न ग्रामों एवं कस्बे के बस स्टैण्ड, बाजारों, कोचिंग सेंटर्स, स्कूलों में तथा महिला थाना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा गंगाप्रसाद जनसेवा इंटर कालेज में जाकर छात्राओं/बालिकाओं/महिलाओं को वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में थाना मऊ की एण्टी रोमियो टीम प्रभारी महिला उ0नि0 श्रीमती अमृता सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा ग्राम पूरब पताई, पश्चिम पताई, बरियारी कलां, बरहा कोटरा, परदवां, टिकरा में जाकर 05 वर्षीय महिला उत्पीडन एवं उससे सम्बन्धित प्रतिवादीगणों से पूछताछ की गयी एवं पीडिताओं से मिलकर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में बताया गया तथा भयमुक्त वातावरण हेतु पुलिस की मौजूदगी का एहसास कराया गया तथा बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या पर वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या बतायें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 97/12 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त प्रेमनारायण कहार पुत्र तेजबली कहार 2. मुन्ना उर्फ शहजाद अली निवासीगण हटवा थाना मऊ 3. मुन्ना केवट पुत्र धर्मपाल केवट निवासी भितरिया थाना मऊ 4. रोहित केवट पुत्र रामदास केवट निवासी बम्बुरा थाना मऊ 5. बबलु केवट पुत्र कदलू निवासी मटियारा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 06-06 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।